कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)

Email Id : jdedu.bastar@gmail.com Phone Number & Fax No. : 07782-299312

—:: आदेश ::—

क्रं. /347 / स्था.03 / सहा0शि0(एल0बी0)पदो0 / ई संवर्ग / 2021–22 जगदलपुर, दिनांक 07/02/2022

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्र0/एफ 2–86/2021/20–दो अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा छ0ग0 स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 की अनुसूची – चार के सरल क्र0 17 पर सहायक शिक्षक(एल0बी0) (स्नातक/प्रशिक्षित) से **शिक्षक (एल0बी0) विषय– सामाजिक विज्ञान** के पद पर पदोन्नति हेतु कॉलम (3) में निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव को 03 वर्ष निर्धारित करने के फलस्वरुप विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर सहायक शिक्षक(एल0बी0) (ई संवर्ग) (स्नातक/प्रशिक्षित) की पदोन्नति शिक्षक (एल0बी0) के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 25300–80500 लेवल–06 (वेतन बैंड रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन –2400) से वेतन मैट्रिक्स 35400–112400 लेवल–08 (वेतन बैंड रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन –4200) में करते हुए एतद् द्वारा अधोलिखित शर्तों के अधीन पदांकित किया जाता है :–

स0क्र0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यरत संस्था का नाम	वि0खं0	वर्तमान जिला	पदोन्नति में पदस्थ संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री बुधसन भारती	सहा.शि.(एल.बी.)	बजावण्ड बालक	बकावण्ड	बस्तर	माध्यमिक शाला मर्दापाल	कोण्डागांव	कोण्डागांव
2	श्री कैलाश सिह बाकडे	सहा.शि.(एल.बी.)	प्रा.शा. संधकरमरी	बकावण्ड	बस्तर	माध्यमिक शाला खासपारा बरकई	माकडी	कोण्डागांव
3	श्रीमती रजिया बेगम	सहा.शि.(एल.बी.)	प्रा0शा0 नवीन नियानार	जगदलपुर	बस्तर	माध्यमिक शाला रोतमा	बस्तर	बस्तर
4	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	सहा.शि.(एल.बी.)	प्रा.शा.संवरा	बकावण्ड	बस्तर	माध्यमिक शाला मंगनार	बकावण्ड	बस्तर
5	राजेन्द्र बघेल	सहा.शि.(एल.बी.)	प्राशा0 पटेलपारा कैकाचेरबहार	जगदलपुर	बस्तर	माध्यमिक शाला बोरपदर	बकावण्ड	बस्तर

शर्तें :–

01. ये पदोन्नतियाँ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक/एफ 20–03/2019/1–3 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23.12.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरूद्ध माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका **W.P./PIL/NO.-91/2019 Date 08-01-2020** में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
02. जिन कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो ऐसे कर्मचारियों के लिये आदेश लागू नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराकर उनकी जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे।
03. यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इन्कार करना चाहते हैं तो पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
04. पदोन्नति से इन्कार करने वाले कर्मचारियों के अनुरोध पत्र पर सुसंगत बातों पर विचार करते हुए पदोन्नति नहीं चाहने का कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जायेगा । अभ्यावेदन स्वीकार नही होने पर चयन सूची के अगले कर्मचारी को पदोन्नत किया जावेगा और ऐसे कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति के इन्कार करने की

तारीख से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्तता के उद्भूत होने तक जो भी पश्चातवर्ती हो, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

05. पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने पर छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/1–1/1/वे.आ.प्र./99/दिनांक 23.09.2012 के तहत् उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जायेगा।

06. यदि "टी" संवर्ग के कर्मचारी को "ई" संवर्ग की संस्था में एवं "ई" संवर्ग के कर्मचारी को "टी" संवर्ग की संस्था में पदोन्नत किया गया हो तो कार्य भार ग्रहण न करावें तथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

07. पदोन्नति पश्चात् यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है, तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्य भार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेगें। उनके रिलीवर आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे ।

08. उपरोक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक एल0बी0 दिनांक 22/02/2022 तक पदोन्नत पद एवं संस्था में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे । समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग बस्तर जगदलपुर(छ0ग0)

पृ.क्रं./348/स्था.03/सहा0शि0(एल0बी0)पदो0/ई संवर्ग/2021–22 जगदलपुर, दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
02. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
03. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
04. कलेक्टर, (समस्त) बस्तर संभाग को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
05. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन बस्तर संभाग को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। यह पदोन्नति आपसे प्राप्त प्रस्ताव एवं वरिष्ठता सूची के अनुसार सहायक शिक्षक एल0बी0 संवर्ग से जो पदोन्नति की अर्हता रखते हैं, को पदोन्नत किया गया है। तथापि उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक में एक विषय– सामाजिक विज्ञान (स्नातक में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में से एक विषय) होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में यह पदोन्नति प्रभावशील नहीं होगी । इस संबंध में उनके स्नातक के शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण कर सही पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावे । उपरोक्त शिक्षकों के प्रस्ताव में कोई विसंगति/त्रुटि हो तो तत्काल इस कार्यालय में सूचना अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें, ताकि उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। साथ ही शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्रस्तुत करें ।
07. जिला कोषालय अधिकारी (समस्त) बस्तर संभाग को सूचनार्थ।
08. संबंधित प्राचार्य, हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी, बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधित पदोन्नत कर्मचारी की पात्रता में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
09. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (समस्त) बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ, लेख है कि संबंधित पदोन्नत कर्मचारी की पात्रता में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
10. संबंधित पदोन्नत सहायक शिक्षक(एल0बी0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग बस्तर जगदलपुर(छ0ग0)